भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1451
सोमवार, 09 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज

†1451. श्री धर्मबीर सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और पंजीकरण अभियान चलाए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या राज्य की योजनाओं के साथ अभिसरण को मजबूत किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) भिवानी-महेंद्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में श्रम कल्याण योजनाओं के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए फरवरी, 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् असंगठित कामगारों को 3000/- रुपए की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के वे कामगार, जिनकी मासिक आय 15000/- रुपए या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि 55/- रुपए से 200/- रुपए तक होती है। योजना के तहत, लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान देय है और इतने ही अंशदान का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। देश भर में लगभग 4 लाख केंद्रों के नेटवर्क वाले सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से योजना में नामांकन किया जाता है। पात्र असंगठित कामगार www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर स्व-नामांकन भी कर सकते हैं।

इस योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:
(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित करना।

जारी/2-

(ii) सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को पीएम-एसवाईएम में नामांकित प्रत्येक पात्र व्यक्ति पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

(iii) नई सुविधाओं: स्वैच्छिक निकास, पुनः प्रवर्तन मॉड्यूल, दावे की स्थिति और खाता विवरण, की शुरुआत।

(iv) निष्क्रिय खातों के रिवाइवल की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करना।

(v) पीएम-एसवाईएम और ई-श्रम का दो तरफा एकीकरण

(vi) जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमएस अभियान।

(vii) पीएम-एसवाईएम योजना के तहत नामांकन के संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों से पत्र-व्यवहार।

(viii) पीएम-एसवाईएम योजना के तहत असंगठित कामगारों के लिए चरणबद्ध तरीके से देशव्यापी विशेष पंजीकरण अभियान का आयोजन करना:

चरण I: शहरी क्षेत्र

अवधि: 15 जनवरी 2026 – 15 फरवरी 2026

चरण II: ग्रामीण क्षेत्र

अवधि: 16 फरवरी 2026 – 15 मार्च 2026

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स, प्रवासी कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का एक व्यापक केन्द्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया था। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर पंजीकृत करना और उन्हें एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करते हुए सहायता प्रदान करना है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम-वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' का शुभारंभ भी किया है, जिसके तहत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं को एक ही पोर्टल, अर्थात् ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करना और उन्हें ई-श्रम के माध्यम से अब तक प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाना है।

दिनांक 03.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार, भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों में पीएम-एसवाईएम योजना के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 46,692 और 32,938 है।

****